न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री भंवर लाल मेहरा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक : अपील आर्म्स एक्ट 18/2016/(2016/00136) भीलवाड़ा

कैलाश झंवर पुत्र चंदनमल झंवर निवासी 4 के 22 आर0सी0व्यास कॉलोनी श्रीनाथ सर्कल के पास जिला भीलवाड़ा।

अपीलार्थी

बनाम

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा।

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 18 आयुद्य अधिनियम 1959
विरूद्व आदेश जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा
आदेश क्रमांक न्याय/शस्त्र/आदेश/2016/22973 दिंनाक 18–05–2016

———

उपस्थितः 1– श्री राघवेन्द्र सिंह राणावत अभिभाषक अपीलार्थी
2– श्री राजेश टण्डन, राजकीय अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांक : 28–11–2022

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने एक 12 बोर बन्दुक के शस्त्र अनुज्ञा पत्र हेतु आवेदन किया जिस पर अनुज्ञा पत्र संख्या बीएचएल/31/96 अपीलार्थी के पक्ष में जारी किया गया। अपीलार्थी के अनुज्ञा पत्र में डीबीबीएल गन नम्बर 24631/91 से दर्ज है तथा उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र दिनांक 31–12–2014 तक नवीनीकृत था तत्पश्चात आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा से जांच रिपोर्ट प्राप्त की जिसमें अपीलार्थी के विरूद्ध तीन दाण्डिक प्रकरण भा0द0स0 के तहत पंजीबद्ध होना बताया तथा अपीलार्थी को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त करने का आदेश दिनांक 18–5–2016 पारित कर दिया। अपीलार्थी द्वारा जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

के आदेश दिनांक 18–5–2016 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये तथा संबंधित अभिलेख तलब किया गया। दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थी गंभीर रोग से ग्रस्त होकर अलग–अलग स्थानों से इलाज करवा रहा है जिसके दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत है जिस कारण अपीलार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट से कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ। जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने आयुद्ध अधिनियम की धारा 17 (3) में प्रावधित शर्तो को दुरूपयोग करते हुए विधिविरूद्ध आदेश पारित किया है जो निरस्तनीय है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जन सुरक्षा हेतु अनुज्ञा पत्र निरस्त करने का निर्णय पारित किया है। उक्त प्रकरणों का विस्तृत विवरण कहीं अंकित नहीं किया है ना ही अपीलार्थी ने जन सुरक्षा को हानि कारित की है। अपीलार्थी किसी भी प्रकार से लोकशांति कभी भंग नहीं करना चाहता अपितु अपीलार्थी कानून को मानने वाला सद्भाविक नागरिक है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त कमिशनर लॉ रिपोर्टर 2005 पार्ट द्वितीय (राजस्थान) पृष्ठ संख्या 207 ''खेमसिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान'' के तहत दाण्डिक प्रकरण विचाराधीन हो तो भी शस्त्र अनुज्ञा पत्र निरस्त नहीं किया जा सकता है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी के विरूद्ध 3 प्रकरण लम्बित थे जिसमें से एक प्रकरण संख्या 1/76 अन्तग्रत धारा 279, 337 भादस में दर्ज होकर दिनांक 17–1–83 को बरी हुआ तथा प्रकरण संख्या 28/83 अन्तर्गत धारा 451, 323 भादस में दर्ज होकर संबंधित न्यायालय ने राजीनामा के आधार पर 10–5–86 को निर्णय किया है। तथा तीसरा प्रकरण संख्या 107/99 अर्न्तगत धारा 286, 338, 337, 304ए भादस व 5/9 एक्सप्लोजीव एक्ट में दर्ज होकर संबंधित न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलार्थी का एक्सप्लोजीव का धन्धा है।

उनका यह भी तर्क है कि जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने राजस्थान सरकार के ग्रह विभाग ग्रुप–9 द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 16–2–2010 जिसमें बिन्दु संख्या 7 में यह प्रावधान किया गया है कि ''विभाग द्वारा जारी समसंख्यक परिपत्र दिनांक 16–12–2006 के बिन्दु संख्या 8.1 में प्रावधान है कि यदि किसी अनुज्ञाधारी के विरूद्ध आपराधिक मामलें में सजा होने, आपराधिक मामला विचाराधीन होने या शांति भंग होने की कार्यवही की जानकारी मिलती है तो नवीनीकरण की अवधि का इंतजार नहीं करके अनुज्ञापत्र को निरस्त कर दिया जाये। जिला मजिस्ट्रेट,

भीलवाडा ने गृह विभाग द्वारा जारी परिपत्र के विपरीत जाकर आदेश पारित किया है जो अपील के माध्यम से निरस्त योग्य है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक की उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने कथन किया कि राज0 सरकार के दिशा निर्देशों एवं समय–समय पर जारी परिपत्रानुसार शस्त्र अनुज्ञापत्र धारी के चरित्र की सत्यापन रिपोर्ट एवं लाईसेंसधारी की पृष्ठ भूमि आपराधिक नहीं हो, के संबंध में पुलिस विभाग से रिपोर्ट लिये जाने के पश्चात अनुज्ञा पत्र नवीनीकरण किये जाने का प्रावधान है। जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा की रिपोर्ट पत्र क्रमांक 4207 दिनांक 4–3–2015 के अनुसार अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण संख्या 107/99 अर्न्तगत धारा 286, 338, 337, 304ए भादस व 5/9 एक्सप्लोजीव एक्ट में दर्ज होकर संबंधित न्यायालय में विचाराधीन है उक्त रिपोर्ट एवं आयुद्ध अधिनियम के प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुए अपीलार्थी का आवेदन पत्र आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण नहीं कर अनुज्ञा पत्र संख्या बीएचएल/31/96 एवं डीबीबीएल गन नम्बर 24631/91 निरस्त किया गया है। अतएव ऐसी स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा का आदेश दिनांक 18–5–2016 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

मैने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर गंभीरतापूर्वक मनन किया तथा सम्बन्धित अभिलेख का गहनता से अध्ययन किया जिससे हमारे समक्ष यह तथ्य स्पष्ट होते है कि जिला पुलिस अधीक्षक भीलवाड़ा की रिपोर्ट पत्र क्रमांक क्रमांक 4207 दिनांक 4–3–2015 के अनुसार अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण संख्या 107/99 अर्न्तगत धारा 286, 338, 337, 304ए भादस व 5/9 एक्सप्लोजीव एक्ट में दर्ज होकर संबंधित न्यायालय में विचाराधीन है तथा आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण करना अनुचित बताया है। उक्त रिपोर्ट एवं आयुद्ध अधिनियम के प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा अपीलार्थी का आवेदन पत्र आगामी अवधि के लिए नवीनीकरण नहीं कर अनुज्ञा पत्र संख्या बीएचएल/31/96 एवं डीबीबीएल गन नम्बर 24631/91 निरस्त किया गया है जो उचित है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी ने अपील मीमों एवं बहस के दौरान कथन किया है कि अपीलार्थी को जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा द्वारा सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का नोटिस नहीं दिया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को जिला मजिस्ट्रेट भीलवाड़ा के कार्यालय के पत्र क्रमांक 22751 दिनांक 6–4–2016 एवं 22405 दिनांक 29–2–2016 द्वारा आर्म्स एक्ट 1959 की धारा–21 के तहत नोटिस जारी कर व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया किन्तु अपीलार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा है। अपीलार्थी का यह कथन गलत है कि उसे सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया।

जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा की रिपोर्ट दिनांक 4–3–2015 के आधार पर जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा ने आदेश दिनांक 18–5–2016 द्वारा अपीलार्थी का शस्त्र अनुज्ञा पत्र का आवेदन पत्र निरस्त किया जाकर अपीलार्थी को उक्त शस्त्र अनुज्ञा पत्र संख्या बीएचएल/31/96 एवं डीबीबीएल गन नम्बर 24631/91 को निरस्त कर निकट के पुलिस थाने में जमा कराने का आदेश पारित किया है, जो सुरक्षा की दृष्टि से उचित एवं विधिसम्मत होने से उसमें किसी प्रकार से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, नागौर का आदेश क्रमांक/न्याय/ आदेश/ 2015/22973 दिनांक 18–05–2016 विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28–11–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भंवर लाल मेहरा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर